प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 का उपखंड (ज), आय जो कुल आय का भाग नहीं है, से संबंधित धारा 10 के खंड (10ग) में एक नया उपखंड (viiग) का अंतःस्थापन करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी संस्था को, जिसका उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत में या किसी राज्य में महत्व है, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

खंड 14 अवक्षयण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है ।

उपखंड (क) पारिणामिक प्रकृति के संशोधनों का उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है।

उपखंड (ख) उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (iiक) यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने के लिए है कि किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे किसी निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित या संस्थापित किया गया है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत के पंद्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि की कटौती खंड (ii) के अधीन अनुज्ञेय होगी। ऐसा पंद्रह प्रतिशत किसी नए औद्योगिक उपक्रम को ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है या 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व विद्यमान किसी औद्योगिक उपक्रम को ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें वह पच्चीस प्रतिशत से अन्यून संस्थापन क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है, अनुज्ञेय होगा। तथापि, ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसका निर्धारिती द्वारा संस्थापन से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या तो भारत के भीतर या बाहर उपयोग किया गया था; या किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान, जिसके अंतर्गत अतिथि गृह की प्रकृति का निवास-स्थान भी है में संस्थापित किसी मशीनरी या संयंत्र; या किसी कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान; या किसी मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत या उसके भाग को किसी एक पूर्ववर्ष के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की गणना करने में कटौती (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) अनुज्ञात की गई है, की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि पहले परंतुक के, यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ मशीनरी या संयंत्र और उत्पादन की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखाकार की यह प्रमाणित करते हुए रिपोर्ट नहीं दे देता है कि कटौती का इस खंड के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है ।

यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे प्ररूप को, जिसमें मशीनरी या संयंत्र और उत्पादन की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे अवक्षयण के लिए पंद्रह प्रतिशत के बराबर और राशि का उपभोग करने के प्रयोजनों के लिए दिए जाएंगे, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रदत्त की जाए ।

विधेयक का खंड 32 कतिपय औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों के लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जिससे किसी कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी से, धारा 80झक और धारा 80झख के अधीन कटौतियों का दावा करने के लिए एक पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सके।

इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे, निर्धारिती, कटौतियों का दावा करने के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, विहित करने के लिए शक्तियां प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 33, कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से, अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न, लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती के संबंध में, आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का, उक्त धारा में दो नई उपधारा (7क) और उपधारा (7ख) का अंतःस्थापन तथा उपधारा (14) के संशोधन द्वारा, संशोधन करने के लिए है।

उपधारा (7क) किसी बहुविध थिएटर के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों से कटौती का उपबंध करने के लिए है। उपधारा (7ख) कन्वेंशन केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार के लाभों और अभिलाभों से कटौती का उपबंध करने के लिए है। उपधारा (14) के संशोधन द्वारा बहुविध थिएटर और कन्वेंशन केन्द्र की परिभाषाओं का उपबंध किया गया है।

खंड द्वारा प्रस्थापित संशोधन नियमों द्वारा वह प्ररूप और वह रीति जिसमें निर्धारिती को उपधारा (7क) और उपधारा (7ख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, विहित करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को शक्तियां प्रदान करता है।

संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, किसी कन्वेंशन केन्द्र की दशा में, भवन का क्षेत्र, कन्वेंशन हालों का आकार और संख्या तथा अन्य सुविधाएं और सुख-सुविधाएं तथा किसी बहुविध थिएटर की दशा में, भवन का क्षेत्र, सिनेमा-हालों और वाणिज्यिक दुकानों का आकार तथा संख्या और अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं विहित करने की शक्ति भी प्रदान करता है।

विधेयक का खंड 36, उस दशा में राहत जिससे वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है, से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 89 का प्रतिस्थापन इस राहत के प्रयोजन के लिए कुटुम्ब पेंशन के बकाया तक विस्तार करने के लिए है।

इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, ऐसी कोई राहत देने के लिए निर्धारण अधिकारी को दिए जाने वाले आवेदन का प्ररूप और रीति विहित करने की शक्तियां प्रदान करता है।

खंड 56 का उपखंड (क) आय-कर अधिनियम की धारा 139 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो कोई ऐसा व्यष्टिक है, जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय को प्राप्त करता है, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने नियोजक को किसी पूर्ववर्ष के लिए अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसा नियोजक, शोध्य तारीख को या उसके पूर्व उसके द्वारा प्राप्त आय की सभी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करेगा और ऐसी दशा में, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को प्रस्तुत विवरणी उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणी समझी जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि इस निमित्त स्कीम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रदान की जाए।

खंड 56 का उपखंड (ख) आय-कर अधिनियम की धारा 139 में एक नई उपधारा (4ग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार एजेंसी, खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था, खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था, खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था, या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य संस्था, खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट संगम, यदि उसकी कुल आय, जिसकी बाबत ऐसा वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था, निधि, न्यास, संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या व्यवसाय संघ, धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष की ऐसी आय की, विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां वर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, विवरणी देगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सकें, इस प्रकार लागू होंगे मानो यह धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए विवरणी हो ।

प्रस्तावित नई उपधारा (4ग) ऐसी विवरणी के प्ररूप और उस रीति को, जिसमें ऐसा प्ररूप सत्यापित किया जाएगा, और उन विशिष्टियों को, जो उस प्ररूप में वर्णित किए जाएंगे, नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने की शक्ति केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को प्रदान करती है।

खंड 85 आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है जिसमें कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य का उपबंध है । यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में नई उपधारा (2) अंतःस्थापित की जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो नियोजक है, ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए केन्द्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड जैसा निदेश करे, कर का संदाय करेगा ।

खंड 87 आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है जिसमें काटे गए कर के लिए प्रमाणपत्र देने का उपबंध है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति को, जिसकी आय की बाबत ऐसे कर का संदाय किया गया है, इस बात का एक प्रमाणपत्र देगा कि कर का संदाय केन्द्रीय सरकार को कर

दिया गया है और इस प्रकार संदत्त रकम, वह दर, जिस पर कर संदत्त किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करेगा, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

प्रस्तावित संशोधन नियमों द्वारा वह अवधि जिसके भीतर ऐसे कर का संदाय किया जाएगा और प्रमाणपत्र का प्ररूप विहित करने के लिए, जिसमें कटौती किए गए कर की रकम, वह दर, जिस पर कटौती की जानी है और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को शक्ति प्रदत्त करता है।

खंड 88 आय-कर अधिनियम में कर संग्रहण खाता संख्यांक से संबंधित एक नई धारा 206गक अंतःस्थापित करने के लिए है ।

धारा 206ग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता द्वारा संदेय रकम को क्रेता के खाते में विकलित करते समय या उक्त क्रेता से नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग द्वारा प्राप्त ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, उससे उस धारा की उपधारा (1) के नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर की राशि संगृहीत करेगा ।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, कर संग्रहण खाता संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा । यह और प्रस्ताव है कि ऐसा कर संग्रहण खाता संख्यांक धारा 206ग की उपधारा (3) के अधीन किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों, उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों, उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के अधीन परिदत्त सभी विवरणियों में या ऐसे संव्यवहारों से, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में हवाला देगा। यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को, नियमों द्वारा, वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर ऐसा आवेदन, कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को किया जाएगा, विहित करने की शक्ति प्रदान की जाए।

विधेयक का खंड 115 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है । इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन, केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए आदेश के, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने या आदेश किए जाने से एक वर्ष के भीतर किसी समय, विस्तार या लागू होने के संबंध में स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए, सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 123, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में एक नई धारा 8ग अंतःस्थापित करने के लिए है । यह खंड केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से आयातों पर उत्पाद विशिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए और इस नई धारा 8ग के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 128, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 5क का संशोधन करने के लिए है । इस खंड द्वारा प्रस्तावित संशोधन केंद्रीय सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश के, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने या आदेश किए जाने से एक वर्ष के भीतर किसी समय, विस्तार या लागू होने के संबंध में स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने के लिए, सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 142 का उपखंड (i), वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है । यह खंड केंद्रीय सरकार को, उस दशा में, जहां उपयोग की गई सेवाएं और दी गई सेवाएं कराधेय सेवाओं के एक ही प्रवर्ग में आती हैं, कराधेय सेवाओं का उपबंध करने के लिए उपयोग की गई सेवाओं पर संदत्त सेवा-कर के मुजरा के प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए, सशक्त करता है और विधेयक का उपखंड (ञ) उक्त अधिनियम की धारा 95 के प्रतिस्थापन के लिए है, जो केन्द्रीय सरकार को, ऐसी किसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो वित्त अधिनियम, 2002 के अध्याय 5 में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा को प्रभावी करने में उद्भूत हो, आदेश जारी करने के लिए सशक्त करता है तथा यह और उपबंध करता है कि इस प्रकार प्रकाशित प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के पूर्वोक्त उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी और नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।